

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 19.07.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-22 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पेशकार पुत्र स्वामीनाथ नि० दलपतपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-226/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना खोडारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. गिरधारी लाल पुत्र अम्बिका नि० बड़की केवटहिया थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-105/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना खरगपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. आशाराम तिवारी पुत्र उदयप्रताप तिवारी नि० ग्राम पिपरा बाजार थाना खरगपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-189/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विष्णु कहार पुत्र चुनमुन कहार नि० सतईपुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-545/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 19.07.2021

विभिन्न ब्रान्ड की 408 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये गए अभियान में अवैध शराब के निष्कर्षण/भण्डारण, बिक्री व परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे। जिसके अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस को भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 19.07.2021 को थाना धानेपुर पुलिस देखभाल क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर बाबागंज बाजार स्थित एक घर से बिना लाइसेंस के अवैध अंग्रेजी शराब की बिक्री करते हुए 02 अभियुक्तों-01. पूरन चन्द्र मिश्रा, 02. रोहित कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से विभिन्न ब्रान्ड की 408 बोतल अंग्रेजी शराब किया गया। अभियुक्तगणों से उक्त अंग्रेजी शराब के बारे में पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हमलोग थोक मात्रा में अंग्रेजी शराब खरीद कर अपने आर्थिक लाभ हेतु अधिक दामों में लोगों को बिक्री करते हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना धानेपुर में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

01. पूरन चन्द्र मिश्रा पुत्र जगनरायन मिश्रा नि० श्रीनगर बाबागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. रोहित कुमार मिश्रा पुत्र पूरन चन्द्र मिश्रा नि० श्रीनगर बाबागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु०अ०सं०-180/21, धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी:-

01. 04 पेटी में 185 शीशी मैकडावल।
02. 03 पेटी में 119 शीशी इम्पीरियल ब्लू।
03. 01 पेटी में 40 शीशी ग्रीन लेवल विस्की।
04. 01 पेटी में 35 पीस हार्ड इम्पैक्ट ग्रीन विस्की।
05. 01 पेटी में 29 शीशी रॉयल स्टैग।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

थानाध्यक्ष शेषमणि त्रिपाठी मय टीम।